बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना

हरियाली मिशन

कार्यान्वयन अनुदेश -2013-2014

योजना का नाम :– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला– पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना।

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

कार्यान्वयन अनुदेश -2013-2014

1. **योजना का नाम :– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला– पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना।**
2. **योजना क्रमांक :– 01**
3. **उद्देश्य :–**
   - अधिक से अधिक पॉप्लर वृक्षारोपण के लिए कम समय में पौधा तैयार करना।
   - किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
   - ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
   - राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
   - बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% वृक्षावरण के अंतर्गत लाने में मदद करना।
4. **शीर्ष/बजट शीर्ष** :– व्यय मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय मांग संख्या 19 उप शीर्ष–0105–पथ तट फार्म विपत्र कोड– पी0 2406018000105 विषय शीर्ष–020–मजदूरी, 2701–लघुकार्य एवं मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–01–वानिकी लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या–19 उप शीर्ष–0103–पथ तट फार्म, विपत्र कोड– पी0–2406017890103, विषय शीर्ष–0201–मजदूरी ।
5. **रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य** :– कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल 360.9 लाख पॉप्लर पौधों का रोपण किया जायेगा जिसके लिए पॉप्लर नर्सरी की स्थापना का लक्ष्य निम्नवत् है –

(* आंकड़ा लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष/लक्ष्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	कुल
1	**कटिंग हेतु ई0 टी0 पी0 की आवश्यकता**	9.3	28.48	37.53	42.10	0.56	**117.97**
2	**नर्सरी हेतु कटिंग की संख्या (लगभग)**	55.8	171.00	225.00	253.00	3.38	**708.18**
3	**पौधशाला क्षेत्रफल एकड़**	558	1710	2250	2530	33.8	**7081.8**
4	**पॉप्लर ई0 टी0 पी0 उत्पादन**	33.5	103	135.1	152	2.03	**425.63**

नोट :– एक एकड़ में 10,000 कलम (कटिंग) लगेंगे। एक ई0 टी0 पी0 से औसतन 6 कलम (कटिंग) तैयार होंगे।

6. आवंटन/लक्ष्य :– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला, पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना का लक्ष्य एवं आवंटन प्रपत्र संख्या–1/06 प्रमंडलवार संलग्न हैं।

7. पॉप्लर पौधशाला लगाने हेतु किसानों के चयन की प्रक्रिया :–

7.1 आवेदन के साथ संलग्न कागजात :– वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है, एवं इसके साथ निम्न कागजात की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा :–

- भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ अद्यतन लगान रसीद।
- बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति/राजस्व रसीद/शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।

7.2 पौधशाला हेतु कृषकों का चयन :–

- समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने के लिए आवेदक कृषक की निजी जमीन/लीज पर जमीन होना चाहिए।
- उन कृषक बंधुओं को वरीयता दी जायेगी, जो 0.5 एकड़ से अधिक भूमि पर पौघशाला स्थापित करना चाहते हैं।
- लाभार्थी कृषकों का चयन, चयन समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को नियमानुसार प्राथमिकता पर सम्मिलित किया जायेगा।
- वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी की सूची मिशन निदेशक, हरियाली मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7.3 आवेदन समर्पित कहाँ करें :–

- आवेदन तथा उससे संबंधित कागजात जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे, जिस जिले में कृषक को खेत हों।

7.4 चयन समिति :–

जिला स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति कृषकों का चयन करेगी। इसके सदस्य संबंधित जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रतिनिधि, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद– देहरादून अन्तर्गत पटना केन्द्र के प्रभारी उपवन संरक्षक होगें।

7.5 चयन की प्रक्रिया :–

- चयन समिति कंडिका–7.1 में उल्लेखित कागजात की जाँच करेंगे और लाभुक का चयन सूची बनायेंगे।
- पूँजी के रूप में कम–से–कम 20 हजार रुपये प्रति एकड़ (आवेदित रकवा) राशि बैंक में जमा होने का प्रमाण–पत्र।
- एक आवेदक को अधिकतम 03 तीन एवं न्यूनतम 0.5 एकड़ में नर्सरी उगाने की अनुमति दी जायेगी।

- अगर आवंटित लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों का आवेदन पौधशाला स्थापना के लिए प्राप्त होता है तो **पहले आओ, पहले पाओ** के आधार पर चयन किया जायेगा।

- समिति द्वारा किये गये चयन पर चयनित व्यक्ति को पौधाशाला स्थापना की अनुमति संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन में विहित अनुबंध पर हस्ताक्षर के उपरांत दी जायेगी। पॉप्लर पौधशाला के लिए समिति द्वारा चयन के उपरांत वन विभाग द्वारा निर्धारित पॉप्लर पौधाशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर पौधशाला स्थापना की अनुमति रद्द कर दी जायेगी।

- दूरी – पौधों (ई0टी0पी0 कटिंग) के लिए निर्धारित की गई दूरी ही पौधशाला संचालको द्वारा व्यवहार में लाई जायेगी।

8. **प्रशिक्षण :–**

- राज्य स्तर पर हरियाली मिशन द्वारा एक दिवसीय ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिसमें मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी, वन संरक्षक पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें पॉप्लर पौधशाला से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

- वन प्रमंडल स्तर पर मास्टर ट्रेनर को हरियाली मिशन मुख्यालय में पॉप्लर पौधशाला से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी दी जायेगी।

- जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण पॉप्लर पौधशाला रोपण, रख–रखाव, उपचार, पौधशाला के संपोषण संबंधित जानकारी दी जायेगी।

- वनपाल एवं वनरक्षी को विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें पॉप्लर पौधशाला रोपण, रख–रखाव, तैयारी एवं उपचार करना सम्मिलित होगा।

- अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- पॉप्लर कटिंग बनाने से संबंधित प्रशिक्षण मजदूरों को भी दिया जा सकेगा।

9. स्रोत/उत्पादन :–

9.1 पौधशाला हेतु पौधा कटिंग की व्यवस्था

9.1.1 सर्वप्रथम प्रारंभिक स्थिति में हरियाली मिशन मुख्यालय से पॉप्लर ई0 टी0 पी0 वन प्रमंडल पदाधिकारी को मुहैया कराया जायेगा तथा आवश्कतानुसार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी लाभार्थी किसानों को मुहैया करायेंगे।

- पॉप्लर की पौधशाला पॉप्लर ई0 टी0 पी0 से कटिंग बनाकर तैयार की जाती है। इस हेतु बड़े पैमाने पर पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की आवश्यकता होगी। किसान पौधशाला की स्थापना माह दिसम्बर–जनवरी में प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश राज्यों आदि से पॉप्लर ई0 टी0 पी0 का क्रय किया जायेगा।

9.1.2 दूसरी स्थिति में जो किसान मुख्यमंत्री निजी पौधशाला पॉप्लर का लगाये हुए हैं, उनसे वनों के क्षेत्र पदाधिकारी इसकी जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा हरियाली मिशन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

तदोपरांत, इसकी उपलब्धता तथा मांग के अनुसार इसके वितरण का निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी/मिशन निदेशक, हरियाली मिशन लेंगे।

9.1.3 कृषकों द्वारा पौधशाला कार्य विवरण :–

- कृषक बंधुओं के द्वारा पौधशाला संबंधित सभी कार्य यथा–खेत की जुताई, समतलीकरण, सुरक्षा, कोड़नी–निकौनी, सिंचाई, बीमारियों से बचाव आदि कार्य संपादित किये जायेंगे।

9.2 पौधशाला हेतु आवश्यक सामग्री :–

- किसान को पॉप्लर पौधशाला लगाने के लिए उनको उपचारित पॉप्लर कटिंग विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि पौधशाला में किसानों को प्रति एकड़ बीस किलोग्राम यूरिया एवं दस किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं कीटनाशक के रूप में थीमेंट 10 जी 0.50 किलोग्राम प्रति एकड़ व्यवहार करना आवश्यक है। इसकी व्यवस्था स्वंय किसानों द्वारा की जायेगी।

9.3 पौधशालाओं का अनुश्रवण :–

- पौधशाला में तय तरीकों का पालन सुनिश्चित करने एवं निर्धारित गुणवत्ता वाले पौधे उगाने के लिए पौधशालाओं का समय–समय पर अनुश्रवण किया जायेगा। पौधशाला रोपण के समय संबंधित प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता नर्सरी स्थल पर मौजूद रहेंगे। पौधशाला उगाने वाले लाभुक कृषकों को तकनीकी मदद के लिए प्रसार कार्यकर्त्ता, तकनीकी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ पदाधिकारी नियमित रूप से पौधशाला हेतु एक पौधशाला पंजी तैयार करायेंगे, जिसमें पौधशाला की संपूर्ण जानकारी एवं समय–समय पर किये जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी जायेगी। पंजी में पौधशाला का नक्शा, निकटवर्त्ती सड़क को दर्शाते हुए देना आवश्यक होगा। अनुश्रवण में यह ध्यान रखना होगा कि नर्सरी की निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार सिंचाई, छँटाई एवं एकीकरण किसानों द्वारा की जाती रहे।

10. मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला के तहत चयनित पौधशाला संचालकों के साथ अनुबंध :–

- यह अनिवार्य रहेगा कि लाभुक कृषक द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के लिखित आदेश के बिना किसी व्यक्ति के साथ पौधशाला में उगाये गये पौधों की बिक्री/वितरण नहीं किया जायेगा।

- लाभुक किसान को पौधों के संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मा होगा। सतत् सिंचाई के अतिरिक्त समय–समय पर साफ–सफाई, खर–पतवार हटाने, शाखाओं की छँटाई एवं एकीकरण की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित समय–सारणी के साथ सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पौधें नहीं लिये जायेंगे तथा भुगतान रोक दिया जायेगा। प्रथम पक्ष चोरी, बाढ़, सूखा, महामारी एवं अन्य किसी प्रकार से क्षति की भरपाई हेतु देनदार नहीं होगा।

- पौधशालापति द्वारा इस अनुबंध के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन किये जाने, किसी तरह की मिथ्या किये जाने अथवा पौधशाला स्थापना एवं संचालन में लापरवाही बरतने की स्थिति में अन्य विविध उपायों के रहते हुए भी वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिशन के पदाधिकारी को यह अधिकार होगा एवं लाभुक कृषक पर यह बाध्यकारी होगा कि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के वे पात्र नहीं होंगे, तथा उनको भुगतान की गयी राशि की वसूली उनसे की जा सकेगी।

- पौधशाला संचालकों के पास पौधशाला स्थापना के लिए जरूरी औजार उपलबध होने चाहिए।

11. कृषकों को देय लाभ :– पौधशाला संचालकों को देय राशि का भुगतान निम्नवत 03 किस्तों में करने का प्रावधान किया जायेगा। (प्रति पौधा बेस प्राइस – 10.25 रूपये)

	A	B	C	D
उत्तरजीविता	>60%	45-59%	30-44%	<30%
भुगतान राशि	15	14.50	14	13
प्रथम किश्त	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05
द्वितीय किश्त	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07
तृतीय किश्त	(उत्तजीविता x 15) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 14.50) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 14) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 13) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)

प्रथम किश्त :– यदि किसी किसान के द्वारा 10000 पौधे लगाने के लिए 10000 ट्यूब भर दी है तो राशि का भुगतान निम्नवत् होगा :–

10000 x 2.05 = Rs. 20500 का भुगतान किया जाएगा।

द्वितीय किश्त :– द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए उत्तरजीविता की गणना जून माह में किया जाएगा। यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 8000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान कॉलम–A से निम्नवत् होगा :–

8000 x 3.07 = Rs. 24560 का भुगतान किया जाएगा।

तृतीय किश्त :– तृतीय और अंतिम किश्त का भुगतान पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर की जायेगी। यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 5000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान कॉलम–B के अनुसार इस प्रकार होगी :–

(5000 x 14.50) – (20500+24560) = 72500-45060 = Rs. 27440 का भुगतान किया जाएगा।

नोट :– यदि प्रथम से द्वितीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरिक्त राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

12. वन विभाग के पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मियों का कर्त्तव्य एवं दायित्व :– हरियाली मिशन मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस योजना के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। संबंधित पदाधिकारी इस योजना का प्लान एवं लक्ष्य के आधार पर ई0 टी0 पी0 प्राप्त करना, लाभुकों का चयन करना, ई0 टी0 पी0 कटिंग बनाने हेतु स्थल, सामग्री, मजदूर, कृषकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त का भुगतान समय–सीमा के अंदर, टाईम लाईन के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे।

12.1 वन संरक्षक :–

- कृषकों का चयन समय पर कराने हेतु चयन समिति की बैठक करवाना।
- पॉप्लर पौधशाला के लिए पॉप्लर कटिंग को समय रहते वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।
- पॉप्लर नर्सरी के रोपाई के पूर्व एवं पश्चात् निरीक्षण करना।
- विवाद को सुलझाना/मुख्यालय को सूचित करना।

12.2 वन प्रमंडल पदाधिकारी :–

- वन प्रमंडल अंतर्गत पॉप्लर कटिंग का प्रबंध करना एवं सुरक्षित वन क्षेत्र कार्यालय तक पहुंचवाना।
- आवेदन–फार्म का जमा करवाना एवं किसानों को चयन करने हेतु वन संरक्षक को सूची उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण के लिए तिथि एवं परिसर का इंतजाम करवाना।
- प्रोत्साहन राशि का चेक क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।
- वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण मुख्यालयों को उपलब्ध कराना।
- रैंडम चेकिंग करना।

12.3 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी :–

- संलग्न कागजात की जाँच करना।
- समय पर पॉप्लर कटिंग तैयार करवाना एवं वितरण किसानों को करना।
- प्रोत्साहन राशि लाभुकों/किसानों को वितरण करना।
- वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण प्रमंडल पदाधिकारी को देना।
- जिला स्तर पर प्रशिक्षण करवाना।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचित करना।

12.4 वनपाल/वनरक्षी :–

- जीवित पौधों की गणना कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना।
- पॉप्लर पौधशाला की सुरक्षा में सहायता करवाना।
- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के साथ पॉप्लर कटिंग का वितरण करना।
- मजदूरों एवं लाभुक कृषकों को प्रशिक्षण देना।
- जमीन के खतिहान/खेसरा/रसीद की जाँच में मदद करना।
- किसी भी प्रकार के नर्सरी में दिक्कत आने पर क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना।

13. लक्षित जिला :–

बिहार के सभी जिलें।

14. **मैप :–**

Pashchim Champaran
Purba Champaran
Sitamarhi
Gopalganj
Sheohar
Madhubani
Supaul
Araria
Kishan ganj
Sivan
Muzaffarpur
Darbhanga
Saran
Madhepura
Vaishali
Samastipur
Saharsa
Purnia
Buxar
Bhojpur
Patna
Begusarai
Khagaria
Katihar
Rohtas
Jehanabad
Nalanda
Lakhisarai
Bhagalpur
Kaimur (Bhabua)
Sheikhpura
Munger
Nawada
Jamui
Aurangabad
Gaya
Banka

15. **फ्लो चार्ट :–**

वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की प्राप्ति

⇩

लाभार्थी कृषकों की सूची तैयार करना

⇩

सूची के अनुसार जमीन का भौतिक सत्यापन

⇩

अंतिम सूची की तैयारी वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना

⇩

समिति द्वारा लाभुकों का चयन करना

⇩

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूची के आधार पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करना

⇩

लाभुकों द्वारा खेत की जुताई करना

⇩

पॉप्लर ई0 टी0 पी0 कटिंग की आपूर्त्ति

⇩

लगाये गये कटिंग का सत्यापन

⇩

रैंडम चेकिंग

⇩

सहायतानुदान राशि का चेक वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करना

⇩

वन प्रमंडल परिसर में शिविर लगाकर चेकों का वितरण

16. **प्री ऑडिट चेक लिस्ट :–**

- वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची तैयार करना।
- स्वीकृत्यादेश की प्रति।
- कार्य निष्पादित क्षेत्र का फोटो शपथ–पत्र।
- व्यय विवरणी।
- स्वीकृत्यादेश में स्वीकृत रकवे के अनुरूप सत्यापन एल0 पी0 सी0/लीज कागजात/किराया रसीद/राजस्व रसीद, शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।
- राशि का भुगतान की प्रति।

17. **अन्य :–**

- राज्य स्तर पर विभिन्न वन प्रमंडलों के अनुश्रवण का दायित्व निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्न प्रकार है :–

क्र0	पदाधिकारियों का नाम	पदनाम
1.	श्री दीपक कुमार	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी
2.	श्री चाँद रहमानी	प्रोग्राम मैनेजर, वित्तीय
3.	श्री नवल किशोर राजू	प्रोग्राम मैनेजर, ग्रामीण
4.	श्री अरविन्द कुमार	प्रोग्राम मैनेजर, वानिकी
5.	श्री निखिल रंजन कुमार	सांख्यिकी पदाधिकारी

- ये पदाधिकारी आवश्यकतानुसार वन प्रमंडल कार्यालय से दूरभाष से संपर्क करेंगे एवं प्रगति की जानकारी हरियाली मिशन निदेशक को देंगे। इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक –सह– निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार होगें।

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

फोटो

प्रपत्र–01/01

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला, पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना

आवेदन

कार्यालय उपयोग हेतु

किसान विशिष्ट पहचान संख्या –

HAR/ ----------/----------/----------/----------/----------/

योजना जिला प्रखंड क्र0 सं0 वर्ष

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

पता

वन प्रमंडल का नाम

वन क्षेत्र का नाम

प्रखंड का नाम

जिला का नाम

पिन नं0

मोबाईल नं0

लिंग–पुरूष/महिला

कोटि– अनुसूचित जनजाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ पिछड़ा वर्ग महिला ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐

पिछड़ा वर्ग ☐ विकलांग ☐ अल्पसंख्यक ☐ सामान्य ☐

धर्म– हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ सिख ☐ ईसाई ☐

अन्य ☐

पौधशाला स्थल की विवरणी :–

क्र0	जमीन मालिक का नाम/जमीन का पता	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा (एकड़ में)

सिंचाई की सुविधा – राजकीय नह ☐ नलकूप ☐ निजी पंपिंग सेट ☐ ☐

बैंक में पूंजी की स्थिति

(प्रमाण के रूप में पासबुक की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। पौधशाला आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधशाला स्थापित कर इनमें उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करूगाँ /करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूगाँ /करूँगी। ऊपर

में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊगाँ/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :– .....

दिनांक :– ..... **आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**

नोट :– आवेदन–पत्र के साथ सभी प्रमाण–पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें :–

(1) एल0 पी0 सी0/प्रस्तावित जमीन का अद्यतन रसीद/ लीज पर लिया गया जमीन की छायाप्रति/राजस्व रसीद, शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।

(2) पासबुक की अद्यतन छायाप्रति

.....

प्राप्ति रसीद

श्रीमान्/श्रीमती ..... पिता/पति का नाम .....

वन प्रमंडल का नाम ..... वन क्षेत्र का नाम ..... प्रखंड का नाम .....

जिला का नाम ..... पिन कोड– .....। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनांतर्गत ''अन्यप्रजाति के पौधों का पौधशाला'' स्थापित करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी आवेदन पत्र क्रमांक ..... है।

स्थान :– ....

दिनांक :– .... **प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर**

पूरा नाम एवं पदनाम।

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

प्रपत्र-01/02 (2013-14)

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला– पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमंडल का नाम :– ..... **जिला का नाम :– .....**

क्र	प्रखंड का नाम	वन क्षेत्र	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम (टोला)	किसान का नाम एवं पिता का नाम	खेत का रकवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	स्टंप की संख्या	मोबाईल नं0	जाति	धर्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												

बीस रुपये का ननजूडिशियल स्टाम्प लगावें।

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

प्रपत्र-01/03 (2013-14)

योजना :– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला– पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना।

अनुबंध पत्र

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन क्षेत्र .....

सेवा में,

चयनित किसान का नाम :– .....
पता :– .....

विषय :– **मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनांतर्गत पॉप्लर पौधशाला लगाने हेतु अनुबंध पत्र।**

दिनांक :–

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपका चयन हरियाली मिशन अंतर्गत पॉप्लर नर्सरी लगाने हेतु किया गया है। आपके द्वारा दिनांक ..... तक कुल जमीन .. .. में कुल ..... कटिंग लगाया जाना है।

अतः आपको दिनांक ..... तक वन प्रमंडल ..... के कार्यालय में सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होकर अनुबंध करें।

पौधशाला स्थापित करने हेतु आवेदन के माध्यम से सहमति व्यक्त की गयी है अनुबंध की विवरणी इस अभिलेख की सूची के रूप में संलग्न है।

अतः यह अभिलेख साक्षी है और इस पर दोनों पक्ष (कृषक एवं हरियाली मिशन के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार) परस्पर अनुबंध करते हैं एवं सहमति व्यक्त करते हैं कि :–

1. प्रथम पक्ष (कृषक), द्वितीय पक्ष (हरियाली मिशन के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार) से अनुबंध के आधार पर पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने हेतु सहमत है।

2. यह अनुबंध दिनांक– ..... से दिनांक– ..... तक (दोनों तिथियाँ सम्मिलित) की अवधि तक लागू रहेगा।

3. पौधशाला की जमीन का रकबा ..... एकड़ एवं पौधशाला संचालकों को पॉप्लर पौधा तैयार करने हेतु निःशुल्क दिये गये पॉप्लर कटिंग की संख्या ..... होगी।

4. द्वितीय पक्ष को यह बचनवद्धता (Undertaking) देनी होगी कि पौधशाला वाली जमीन पर उनका कब्जा है तथा अनुबंध अवधि तक उनका ही रहेगा।

5. पौधशालापति द्वारा उक्त पौधशाला में प्रथम पक्ष कंडिका–3 में अंकित संख्या में आपूर्त्तित पॉप्लर कटिंग से पॉप्लर पौधशाला मार्गनिर्देशिका, जो प्रथम पक्ष (वन प्रमंडल पदाधिकारी) द्वारा दी जायेगी, में अंकित विहित प्रक्रिया के अनुसार पौधें तैयार किया जायेगा। इस कार्य में होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जायेगा। पौधशाला में कटिंग के रोपण की दूरी 80X50से0 मी0 रखना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा आपूर्त्तित कटिंग से अधिक संख्या में पौधे नहीं उगाये जायेंगे तथा उक्त पौधशाला में पॉप्लर के अलावे अन्य पौधें नहीं लगाये जायेंगे।

6. पौधशालापति उल्लिखित प्रजाति एवं संख्या में उगाये गये पौधों का लेखा–जोखा रखेंगे एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारियों/मिशन के पदाधिकारियों के द्वारा मांगे जाने पर उक्त लेखा–जोखा उनके समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेगा तथा पौधशाला निरीक्षण में आवश्यक सहयोग करेगा।

7. संबंधित जमीन में स्थापित पॉप्लर पौधशाला में उगाये गये रोपण हेतु उत्तम गुणवत्ता (न्यूनतम 10 फीट उँचाई एवं 2.5 ईंच की कॉलर गोलाई) वाले पॉप्लर के स्वस्थ एवं जीवित पौधें (ई0 टी0 पी0) एक वर्ष पूरा होने पर किसानों के बीच निःशुल्क वितरित करने हेतु पौधशालापति से भुगतान के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा इसे कृषि वानिकी योजनान्तर्गत किसानों की जमीन पर रोपण हेतु किसानों को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. पौधशालापति को उनके द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार पौधशाला स्थापित करने, पौधों की सुरक्षा देखभाल करने एवं एक वर्ष के बाद उच्च गुणवत्ता के न्यूनतम 10 फीट लंबाई के पौधे वृक्षरोपण के लिए आपूर्त्ति करने के एवज में विभाग द्वारा निर्धारित राशि प्रति पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) की दर पर प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस अनुबंध के तहत पॉप्लर पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) का बेस प्राईस रु0 10.25 प्रति पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पौधशाला के जमीन की क्षतिपूर्त्ति राशि एवं पर्यवेक्षण राशि भी अलग से दी जायेगी। उपर्युक्त दोनों भुगतान के अतिरिक्त पौधशालापति को अच्छी गुणवत्ता के पौधें तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधों की आपूर्त्ति प्रतिशत के आधार पर प्रोत्साहन राशि भुगतान का भी प्रावधान हैं। इस प्रकार उपर्युक्त सभी भुगतान मिलाकर वास्तविक आपूर्त्ति के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को रु0 13 से 15 के बीच प्रति पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) की दर पर कीमत भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। कीमत निर्धारण विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

9. पौधशालापति (द्वितीय पक्ष) को उनके द्वारा आपूर्त्ति किये जाने वाले/आपूर्त्तित पॉप्लर पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) के मूल्य का भुगतान निम्नवत् तीन किश्तों में किया जायेगा–(प्रति पौधा बेस प्राइस–10.25 रूपये)

	A	B	C	D
उत्तरजीविता	>60%	45-59%	30-44%	<30%

भुगतान राशि	15	14.50	14	13
प्रथम किश्त	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05
द्वितीय किश्त	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07
तृतीय किश्त	(उत्तजीविता x 15) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 14.50) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 14) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 13) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)

प्रथम किश्त :– यदि किसी किसान के द्वारा 10000 पौधे लगाने के लिए 10000 ट्यूब भर दी है तो राशि का भुगतान निम्नवत् होगा :–

10000 x 2.05 = Rs. 20500 का भुगतान किया जाएगा।

द्वितीय किश्त :– द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए उत्तरजीविता की गणना जून माह में किया जाएगा। यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 8000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान कॉलम–A से निम्नवत् होगा :–

8000 x 3.07 = Rs. 24560 का भुगतान किया जाएगा।

तृतीय किश्त :– तृतीय और अंतिम किश्त का भुगतान पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर की जायेगी। यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 5000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान कॉलम–B के अनुसार इस प्रकार होगी :–

(5000 x 14.50) – (20500+24560) = 72500-45060 = Rs. 27440 का भुगतान किया जाएगा।

10. यदि प्रथम से तृतीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

11. द्वितीय पक्ष को पौधों की संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मा होगा, सतत सिंचाई के अतिरिक्त समय–समय पर साफ–सफाई, खर–पतवार हटाने, शाखाओं की छँटाई एवं एकीकरण की व्यवस्था निर्धारित संलग्न समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी। छँटाई एवं एकीकरण न होने पर पौधे नहीं लिये जायेंगे तथा भुगतान रोक दिया जायेगा। प्रथम पक्ष चोरी, चराई, बाढ़, सूखा महामारी एवं अन्य किसी प्रकार से हुए क्षति की भरपाई हेतु देनदार नहीं होगा।

12. पौधों में किसी तरह की बीमारी या कोई अन्य क्षति की तत्काल सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/मिशन के पदाधिकारी को द्वितीय पक्ष द्वारा दी जायेगी।

13. उपर्युक्त वित्तीय लाभ के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष किसी अन्य वित्तीय लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

14. द्वितीय पक्ष अपना बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम शाखा का नाम एवं पता वाले पासबुक के पृष्ठ की छायाप्रति प्रथम पक्ष के द्वारा कार्यालय में अनुबंध के साथ–साथ जमा करेंगे।

15. पौधशाला के पौधों का भौतिक सत्यापन प्रथम पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक भुगतान के पूर्व किया जायेगा एवं सत्यापन के समय प्रथम पक्ष के साथ–साथ द्वितीय पक्ष स्वयं या उनके वैध प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रपत्र पर दोनों अपना हस्ताक्षर करेंगे।

16. यह प्रतिबंध रहेगा कि पौधशालापति द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के लिखित आदेश के बिना किसी व्यक्ति के साथ पौधशाला में उगाये गये पौधों की बिक्री/वितरण नहीं किया जायेगा।

17. पौधशालापति द्वारा इस अनुबंध के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन किये जाने, उनके द्वारा किसी तरह की मिथ्या किये जाने अथवा पौधशाला स्थापना एवं संचालन में लापरवाही बरतने की स्थिति में अन्य विविध उपायों के रहते हुए भी वन प्रमंडल पदाधिकारी/मिशन के पदाधिकारी को यह अधिकार होगा एवं पौधशालापति पर यह बाध्यकारी होगा कि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के वे पात्र नहीं होंगे तथा उनको भुगतान की गयी राशि की वसूली उनसे की जायेगी।

18. अनुबंध में निहित शर्त्तों एवं कार्यकलापों के संबंध में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं उनका निर्णय अंतिम उपं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उक्त अनुबंध के साक्ष्य में इस अभिलेख पर प्रथम पक्षकार वन प्रमंडल पदाधिकारी .... वन प्रमंडल तथा द्वितीय पक्षकार श्री ..... ग्राम .... पंचायत ..... प्रखंड ..... जिला ..... (पॉप्लर पौधशालापति) द्वारा हस्ताक्षर किया।

पूरा नाम एवं हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पॉप्लर पौधशालापति	वन प्रमंडल पदाधिकारी
(द्वितीय पक्ष)	(प्रथम पक्ष)

साक्षी	साक्षी
नाम एवं पता सहित	नाम एवं पता सहित

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
"हरियाली मिशन"
आदेश

योजना :– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला– पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना।

प्रपत्र-01/04 (2013-14)

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

वन प्रमंडल .....

सेवा में,

.....

.....

विषय :– **पौधशाला ससमय स्थापित न करने और शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश रद्द करने के संबंध में।**

दिनांक :–

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको पत्रांक–..... दिनांक – .... के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि आप ससमय वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवंटित नर्सरी हेतु कटिंग प्राप्त कर लें, पौधशाला ससमय स्थापित न करने और शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने के कारण इस कार्यालय का निर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत्यादेश रद्द किया जाता है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
..... वन प्रमंडल

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
"हरियाली मिशन"

प्रपत्र-01/05 (2013-14)

योजना :– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला– पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना।

भुगतान हेतु आवेदन–पत्र एवं स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी :– .....

वन प्रमंडल :– .....

कार्यालय उपयोग हेतु

किसान विशिष्ट पहचान संख्या –

HAR/ ----------/----------/----------/----------/----------/
योजना जिला प्रखंड क्र0 सं0 वर्ष

किसान हेतु

महाशय,

मैं ..... पिता/पति ..... वन प्रमंडल ..... वन क्षेत्र ....जिला ..... मेरे द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनातंर्गत पॉप्लर के पौधों का पौधशाला स्थापित किया गया है। मेरे द्वारा आपके पौधशाला से कुल ..... स्टंप प्राप्त किये। जिसमें प्रथम किस्त हेतु .... पौधें स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता युक्त निर्धारित मापदंड अनुसार पौधे तैयार हो चुके हैं। अतः मुझे प्रथम किस्त देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(किसान का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
या बायें हाथ के अंगूठे का निशान)

.....

कार्यालय द्वारा जाँच–पत्र

उपर्युक्त दिये गये किसान द्वारा प्रथम किस्त भुगतान हेतु आवेदन–पत्र के आधार पर मेरे द्वारा नाम .... पदनाम ..... जाँच किया गया, जाँच में इनकी पौधशाला में कुल ..... पौधें स्वस्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले निर्धारित मापदंड अनुसार पौधे पाये गये।

विश्वासभाजन

(जाँचकर्त्ता का हस्ताक्षर)

नाम –
पदनाम –
दिनांक –

वन प्रमंडल पदाधिकारी हेतु

उपर्युक्त जाँच में पाया गया की किसान द्वारा स्थापित किये गये पौधशाला में स्वस्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले .... पौधें पाये गये जो ..... रुपये प्रति पौधें की दर से कुल ..... रुपये का भुगतान ड्राफ्ट नं0– ..... दिनांक – ..... को निर्गत किया जा रहा है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर :–

या अंगूठे का निशान

वन प्रमंडल पदाधिकारी

प्रमंडल – .....

जिला – .....

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

हरियाली मिशन

योजना का नाम :– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला, पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना।

''पॉप्लर पौधशाला स्थापित कर आमदनी बढ़ाएँ, प्रदेश में हरियाली लाएँ''

जमीन मालिकों/किसान बंधुओं/उद्यमियों के लिए आवश्यक सूचना

''मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनांतर्गत पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला स्थापना योजना'' हरियाली मिशन, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों से अपनी जमीन पर पॉप्लर की पौधशाला स्थापित करने के लिए आवेदन–पत्र आमंत्रित करती है।

योजना का उद्देश्य :– इस योजना में शामिल होने वाले लाभुकों/कृषकों को पॉप्लर के वृक्ष/कटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे पॉप्लर के पौधे तैयार होंगे, जिसे पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वापस खरीद लिया जायेगा।

वृक्षों/कटिंग की उपलब्धता :– इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय कार्यालय से पॉप्लर के वृक्ष/पॉप्लर की कटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुकों को 10,000/– (दस हजार) कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराये जायेंगे।

कृषकों/लाभुकों को लाभ :– हरियाली मिशन के तहत पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारित राशि कुल तीन किस्तों में दी जायेगी।

(1) प्रथम किस्त 20 % मार्च में।

(2) द्वितीय किस्त 30 % अक्टूबर में।

(3) तृतीय किस्त 50 % दिसम्बर में।

(वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह राशि 13 से 15 रुपये प्रति पौधा निर्धारित की गयी है)।

योजना में शामिल जिलों का नाम :– पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, खगड़िया एवं मधेपुरा।

पात्रता :–

- आवेदक की अपने नाम से या लीज पर (कम–से–कम तीन वर्ष तक के लिए) जमीन होनी चाहिए।
- जमीन समतल, ऊँची जल–जमाव मुक्त होनी चाहिए।
- पूंजी के रूप में बैंक खाता में ₹ 20,000/–(बीस हजार रुपये) होने चाहिए।
- जमीन पर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए।
- आवंटन के लिए प्रति व्यक्ति जमीन की सीमा आधा एकड़ से तीन एकड़ तक रखी गयी है।

आवेदन कहाँ करें :– इच्छुक किसान की जिस जिले में पॉप्लर पौधशाला स्थापित करना चाहते हैं, उसी जिले के स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय में अथवा वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी अथवा वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :–

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले कागजात :–

(1) भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र।

(2) अद्यतन लगान रसीद।

(3) एकरारनामा की रसीद (यदि जमीन लीज पर ली गयी हो)।

(4) राजस्व रसीद, शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।

(5) बैंक पासबुक की छायाप्रति। जिसमें रुपये 20,000/– होने चाहिए।

आवेदन पत्र का प्रारूप :–